मॉड्यूल 8: वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण

सत्र 2 वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों की भूमिका

अवधि: 23:20 मिनट

सत्र 2 वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करन वालों की भूमिका

इस सत्र में हम बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों की वैश्विक महामारी के दौरान भूमिका पर चर्चा करेंगे जिसमें पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई), ज़िला प्रशासन और स्थानीय शासन निकाय जैसे पंचायत इत्यादि शामिल हैं।

वश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण

हम पहले से ही यह जानते हैं कि किशोर न्याय तंत्र के तहत देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे (सी एन सी पी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सी सी एल), बाल संरक्षण सेवाएं (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण योजना(आई सी पी एस) से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यह अनिवार्य किया गया है कि सभी बच्चों के अधिकारों का अनुश्रवण करें, खासकर उन बच्चों के जो वंचित तथा कमजोर समुदायों से हैं।

प्रवासी श्रमिकों, सड़कों पर जीवन यापन करने वालों के बच्चों तथा किशोर न्याय तंत्र के तहत संचालित संस्थानों में रहने वाले बच्चों और आवासीय स्कूलों में रहने वाले बच्चों के लिए एन सी पी सी आर द्वारा दिशानिर्देश जारी किया जा चुका है।

इन दिशानिर्देशों को आप लिंक पर देख सकते हैं '**प्रवासी श्रमिकों के साथ घुमन्तु बच्चों, सड़कों पर जीवन यापन करने वाले तथा संस्थानों में रहने वाले बच्चों की, कोविड–19 के प्रकाश में देखरेख और संरक्षण के लिए एनसीपीसी आर एडवाईजरी'**

एनसीपीसी आर ने एक मानक कार्य पद्धति (एसओपी) भी जारी की है जो "सड़कों जैसे हालत में रहने वाले बच्चों को मुक्त कराना, देखरेख और संरक्षण" के विषय पर है।

बाल देखरेख संस्थानों, आश्रय गृहों, तथा पर्यवेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आप इससे सम्बन्धत लिंक स्क्रीन पर देख सकते हैं।

समेकित बाल संरक्षण सेवाएं (आईसीपीएस) सीविल सोसायटी संस्थाओं के साथ मिलकर इन कमजोर तथा वंचित समूहों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।[1]

[1] https://www.cry.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-Its-Impact-on-Children.pdf

सड़कों से जुड़े बच्चों की सुरक्षा के संबंध में एनसीपीसी आर द्वारा जारी की गयी मानक कार्य पद्धति, मुख्य दस्तावेजों में से एक है।

यह सड़कों की स्थिति में रहने वाले बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए, विभिन्न कानूनी तंत्र के प्रयोग, विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रावधानों और बच्चों के लिए सफलतापूर्वक पुनर्वास चाहे वह संस्थागत देखरेख के द्वारा हो या विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों द्वारा हो या विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों द्वारा प्रदत्त लाभों को परिवारों तक पहुंचाकर, उन्हें सशक्त करके, परिवार आधारित देखरेख के द्वारा हो, एक रूपरेखा प्रदान करती है।[2]

पुलिस की भूमिका

हम जानते हैं कि बाल संरक्षण में पुलिस को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। आईए इस बात को समझा जाए कि वैश्विक महामारी के दौरान पुलिस की क्या भूमिकाएं हैं।

- सड़क की स्थिति में रहने वाले बच्चों, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और एकाकी किशोर श्रमिकों को मुक्त कराना और उनका पुनर्वास कराना।
- क्वारन्टाईन शिविरों के मामले में, पुलिस को इन शिविरों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित कराना चाहिए।
- कोविड–19 से संक्रमित बच्चों और क्वारन्टाईन या अकेले रहने के दौरान बच्चों की सुरक्षा
- कोविड–19 के दौरान हिंसा की रोकथाम
- चाईल्ड लाईन सेवाओं की जानकारी और कमजोर तथा वंचित बच्चों को मनो–सामाजिक सहयोग
- कोविड–19 के सन्दर्भ में दिनांक 3 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी बाल संरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन कराना
- बच्चों पर पड़े बढ़े हुए प्रभावों को कम करने में पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे–
    - खो गए या एकाकी बच्चे की पहचान तथा सहायता करना
    - हिंसा की रोकथाम और प्रतिक्रिया
    - बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह की रोकथाम करना[3]

इसके अतिरिक्त इन बच्चों की स्थिति का अनुश्रवण विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस जे पी यू) के प्रमुख तथा ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी (डी सी पी ओ) द्वारा किया जाएगा और जारी रखा जाएगा।
आईए अब चर्चा करें कि बाल संरक्षण तंत्र के प्रत्येक कर्मी की वैश्विक महामारी के दौरान क्या भूमिका है

[2] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=2005&lid=1915
[3] Child Protection during COVID 19: THREAT OF TRAFFICKING OF CHILDREN, RSLSA, UNICEF

जिला बाल संरक्षण इकाई (डी सी पी यू) की भूमिका

- किसी विशेष ज़िले में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बाल देखरेख संस्थान न होने या उपलब्ध संस्थान में जगह न होने की स्थिति में, डी सी पी यू को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां की बाल कल्याण समिति किसी उपयुक्त सुविधा को, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत चिन्हित करे जो अस्थायी तौर प्रवासी मजदूरों के साथ घूमने वाले बच्चों या सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ले।[4]
- ज़िला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चाईल्ड लाईन 24X7 सक्रिय रहे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सहायता दे सके।[5]

जो बच्चे पहले से ही बाल देखरेख संस्थानों में, सरकार की देखरेख और संरक्षण में रखे गए हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इसके लिए ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए जैसेः

- सुनिश्चत करें कि कर्मियों को नियमित रूप से संवेदित किया जा रहा है और उपायों की अद्यतन जानकारी दी जा रही है जिससे कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम की जा सके।
- बाल देखरेख संस्थानों के कर्मियों तथा वहां रहने वाले बच्चों को शारीरिक दूरी बनाकर रहने तथा कमरे के अन्दर रहने के महत्व को बार–बार बनाना
- दानदाताओं को परिसर में अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रवेश द्वार के नजदीक एक अलग काउन्टर बनाया जा सकता है जहां दान लिया जा सकता है। दान दाताओं से पके खाने के स्थान पर सूखा राशन या बिना पका हुआ खाद्य सामग्री देने के लिए निवेदन किया जा सकता है।
- बाल देखरेख संस्थानों को शैक्षणिक तथा मनोरंजन की सामग्रियों से युक्त बनाया जा सकता है।
- सामाजिक खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो कर्मियों तथा बच्चों को चिकित्सीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं।
- सभी बाल देखरेख संस्थानों तथा जहां बच्चे निवास करते हैं उन प्रत्येक स्थानों पर एचआईवी/एड्स की दवाईयां तथा चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- अगर बाल देखरेख संस्थान के फण्ड का आवंटन लंबित है तो इसमें तेजी लानी चाहिए और जल्द से जल्द फण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

---

[4] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904
[5] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904

जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

- कोविड–19 के उच्च जोखिम को देखते हुए, हॉस्टल/मदरसा/सरकारी तथा प्राईवेट आवासीय संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे वहां रहने वाले बच्चों की देखरेख करें। कोई भी संस्था इन बच्चों को हॉस्टल/मदरसा/आवासीय संस्थान खाली करने के लिए नहीं कह सकती।
- वहां इन बच्चों को मूलभूत सुविधाओं जैसे– भोजन, पानी, चिकि त्सीय सहायता, स्वच्छता आदि की कमी नहीं होनी चाहिए।
- अगर इन संस्थानों को फण्ड का आंवटन रूकी हुइ ̔ है तो उसमें तेजी लाकर, जल्द से जल्द फण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इन संस्थानों में भ्रमण करने तथा किसी प्रकार की कमी या सुरक्षा का मुद्दा होने पर रिपोर्ट देने के लिए चाईल्ड लाईन से सहायता प्राप्त की जा सकती है।[6]

विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की भूमिका–

कोविड–19 के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सुरक्षा में एसजेपीयू की मुख्य भूमिका है। कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे पर्यवेक्षण गृहों तथा विशेष गृहों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एसजेपीयू को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

हम सड़क की स्थिति में रहने वाले बच्चों के जोखिमों को जानते हैं। ये बच्चे या तो अनाथ या परित्यक्त, खोये हुए या भागे हुए हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं या ऐसे परिवार के साथ रहते हैं जिनका कोई आश्रय स्थल नहीं है। कोविड–19 के दौरान ऐसे बच्चों के साथ हिंसा तथा दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक हो गई है।

इसलिए सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसजेपीयू विशेष कदम उठाने चाहिए। पिछले सत्रों में हमने एसजेपीयू के तहत, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) के विशिष्ट उत्तरदायित्वों के बारे में जाना है। कोविड–19 के दौरान भी सी डब्ल्यू पी ओ द्वारा इन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। आईए देखें कि यह भूमिकाएं क्या हैं!

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) की भूमिका

हम पहले से ही यह जानते हैं कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, एसजपीयू में बाल संरक्षण के मामले में मुख्य अधिकारी हैं। आईए कोविड–19 के दौरान सीडब्ल्यूपीओ की भूमिका को जानें।

- अगर पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र में, संरक्षण और देखरेख का ज़रूरतमंद कोई बच्चा है, इसे जानने के लिए क्षेत्र की नियमित निगरानी करें। चाईल्ड लाईन से ऐसे बच्चों को चिन्हित करने तथा आगे की कार्रवाई के लिए मामले को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के संज्ञान में लाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

---

[6] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1982&lid=1903

- प्रत्येक बच्चे का विवरण जैसे नाम, उम्र, लिंग, मूल स्थान, एकाकी या परिवार के साथ आदि, जब भी ऐसा बच्चा मिलता है तो दर्ज करें।
- ऐसे बच्चों के विवरण को सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के पास भेजें।
- प्रारम्भिक जांच तथा बातचीत के बाद, अगर बच्चा अकेला है तो उसे बाल देखरेख संस्थान या उपयुक्त सुविधा में अस्थायी रूप से सम्बन्धित बाल कल्याण समिति का अनुमोदन लेकर रखें।
- अगर बच्चा परिवार के साथ है तो राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की नजर में जो उचित तरीका हो, उसके अनुसार बच्चे का सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए परिवार को आश्रय स्थल दिलाने का पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए।
- परिवार के साथ रहने वाले बच्चों के मामले में बच्चों के लिए पर्याप्त आहार और शिशुओं के लिए उपयुक्त आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे की चिकित्सीय जांच करने के लिए व्यवस्था बनाएं।
- कोविड–19 का कोई भी लक्षण होने पर या चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता वाली कोई भी स्थिति वाला मामला चिन्हित होने पर, नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा में सम्पर्क करें। ऐसे मामलों में सहायता के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है।
- वर्तमान परिस्थितियों में अगर बाल कल्याण समिति की बैठकें होनी संभव नहीं हैं, तो प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चे या बच्चों के विवरण को उनके फोटोग्राफ (जिसेसीडब्ल्यूपीओ ने अपने मोबाईल से खींचा है) को सी डब्ल्यू सी के अध्यक्ष के साथ साझा कर सकते हैं और तब समिति बच्चे को उपयुक्त स्थान पर अस्थायी पुनर्वास का अनुमोदन कर सकती हैं।
- जब भी कोई बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसी देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे या बच्चों को, उन्हें मुक्त कराने, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने या किसी अन्य मामले में जो बच्चे या बच्चों के पुनर्वास या देश प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित हो, कि लिए उनके सम्पर्क में आते हैं तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी नियमों का पालन, कमजोर तथा वंचित बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सख्ती से किया जाना चाहिए।

किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका–

- कोविड–19 के आलोक में बच्चों की जांच या निरीक्षण के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर सक्रियता से विचार करें।
- ऑनलाईन या वीडियो सत्र का आयोजन किया जा सकता है।
- किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय ऐसे कदमों पर विचार कर सकते हैं जो पर्यवेक्षण गृहों, विशेष गृहों तथा सुरक्षित स्थान में रहने वाले बच्चों को कोविड–19 के कारण उत्पन्न जोखिमों से बचा सकते हैं।

इसलिए किशोर न्याय बोर्ड को सक्रियता से यह विचार करना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बच्चे या बच्चों को क्या बाल देखरेख संस्थान में रखना चाहिए।

इसके अन्तर्गत शामिल हैं:

- अगर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 को लागू करने के स्पष्ट कारण न हों तो पर्यवेक्षण गृहों में सभी बच्चों को जमानत पर छोड़ने का विचार करना।
- मामलों के शीघ्र निस्तारण और सम्पर्क से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग या ऑन–लाईन बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- सुनिश्चित करें कि पर्यवेक्षण गृहों के सभी बच्चों को परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं।
- पर्यवेक्षण गृहों की स्थिति का नियमित रूप से अनुश्रवण करें।

आईए अब कोविड–19 के दौरान बाल कल्याण समिति की भूमिका को जानें।

- कोविड–19 के आलोक में, उन चरणों पर सक्रियता से विचार करना जो बच्चों की जांच या निरीक्षण करते समय उठाने हैं और यह भी विचार करना है कि बच्चे/बच्चों के सर्वोत्तम हित, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें बाल देखरेख संस्थान में रखा जाना चाहिए।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान के न होने पर या उपलब्ध संस्थानों में जगह न होने पर समिति को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत उपयुक्त सुविधा की पहचान करनी है जो अस्थायी रूप से बच्चों की जिम्मेदारी ले सके।

इसके लिए नज़दीकी स्कूल की इमारत और/या निजी स्कूल और/या पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा चलायी जा रही अन्य सुविधाओं या सामुदायिक केन्द्रों को इन बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधा में बदला जा सकता है।

- जहां पर बाल कल्याण समिति की बैठक संभव नहीं है तो इसे ऑन लाईन तरीकों जैसे वीडियो कॉल या वॉट्सैप आदि के द्वारा किया जा सकता है।
- एक बालिका के मामले में, उसे केवल बालिकाओं के लिए बने आश्रय या उपयुक्त सुविधा में भेजा जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए जाने चाहिए।
- एक बालिका के मामले में जिसकी तस्करी हुई है उसे तात्कालिक राहत जैसे– भोजन, आश्रय, टॉयलेट से जुड़ी सामग्री/स्थान, कपड़े, परामर्श, चिकित्सीय सहायता आदि का इंतजाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उज्जवला योजना से अंतरित समय के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार अगर बच्चा विशेष ज़रूरतों वाला है तो उसे उसी सुविधा में रखा जाना चाहिए जो ख़ास उसी प्रकार के बच्चों के लिए बनी है।
- एक बार जब लॉकडाउन समाप्त हो जाता है और स्थितियां फिर से सामान्य हो जाती हैं तब बच्चों को, उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे के आदेश के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके पुनर्वास या देश प्रत्यावर्तन, जो भी उपयुक्त हो के लिए होगा।

- इसलिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक बच्चे का विवरण और उन्हें कहां रखा गया है इसके रिकॉर्ड का सही तरीके से रख–रखाव किया जाना है। इसे नियमित रूप से सी डब्ल्यू सी तथा एस जे पी यू के साथ साझा किया जाना चाहिए।[7]

आईए अब, कोविड–19 के दौरान बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की भूमिका को समझा जाए

- सीसीआई के प्रभारी और सीसीआई में कार्य करने वाले कर्मियों को सक्रियता से और तत्परता से वह हर अनिवार्य कदम उठाने चाहिए जो बच्चों को कोविड–19 के खतरे से सुरक्षित रखें। यह जेजे एक्ट, 2015 में शामिल सुरक्षा के मूल सिद्धान्तों का अनुपालन होगा।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड–19 के लिए एक नयी राष्ट्रीय हेल्प लाईन शुरू की है जिनका नं. है 1075 और 1800112545। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई किसी भी शंकाओं या स्पष्टीकरण के लिए इन नंबरों पर कॉल करें इसके अतिरिक्त चाईल्ड लाईन का नं. 1098 सक्रियता के साथ जारी रहेगा।
- अगर किसी कर्मी या बच्चे में लक्षण है, तब ऊपर दिए गए हेल्पलाईन नंबरों पर कॉल करें या स्थानीय डॉक्टर को बुलाएं। अस्पताल तभी जाएं जब डॉक्टर या हेल्पलाईन नं. ने सलाह दी हो या लक्षण गंभीर हों।
- कर्मी या अन्य किसी सदस्य में कोविड–19 के लक्षण दिखने के बाद उन्हें बाल देखरेख गृह में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।
- सीसीआई द्वारा शारीरिक दूरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शारीरिक दूरी के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- सीसीआई द्वारा साफ पानी और साबुन से बार–बार हाथ धोना, एल्कोहल रब/हैण्ड सेनेटाईजर या क्लोरीन के तरल तथा कम से कम रोज एक बार विसंक्रमित करने का कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विभिन्न सतहों की सफाई, जिसमें रसोईघर तथा बाथरूम भी शामिल है, रोज़ की जानी चाहिए।
- जहां पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, इसके संबंध में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में कथित उद्देश्य के लिए बजट की व्यवस्था करना भी शामिल है।
- बाल देखरेख संस्थान को, उपयुक्त मात्रा में पानी, स्वच्छता, विसंक्रमित करने वाले पदार्थ तथा कचरा प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए तथा वातावरण की स्वच्छता एवं साफ–सफाई की प्रक्रियायों का पालन करना चाहिए

---

[7] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904

बाल देखरेख संस्थानों के लिए कोविड–19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय

1. **नियमित स्क्रीनिंग जारी रखें**
2. **स्वास्थ्य सन्दर्भन तंत्र का पालन किया जाए:**

जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि अगर कोई बच्चा, कर्मी या सीसीआई में कार्य करने वाला कोई सेवा प्रदाता बीमार दिखता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का सी सी आई को तुरन्त करना चाहिए।

जब किसी भी बच्चे या कर्मी को कोविड–19 का संक्रमण होने की आशंका हो तो पहला कदम है सी सी आई से जुड़े नर्स या डॉक्टर को जल्द से जल्द सूचित करना।

सीसीआई ऊपर दिए गए हेल्पलाईन नं. पर कॉल कर सकती हैं या किसी स्थानीय डॉक्टर से सम्पर्क कर सकती हैं।

संक्रमित बच्चे या लोगों को तब अस्पताल जाना चाहिए जब डॉक्टर या हेल्पलाईन नं. सलाह दी हो या लक्षण गंभीर हों।

3. क्वारन्टाईन

लक्षण उत्पन्न होने के बाद, ऐसे बच्चों के लिए सीसीआई में एक क्वारन्टाईन या अलग किया हुए स्थान (जहां सम्भव हो) होना चाहिए। जहां क्वारन्टाईन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. आपातकालीन स्थितियों के लिए अग्रिम योजना बनाना

सी सी आई के प्रभारी अधिकारी को, संस्थान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिलकर पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न किसी भी आपातकाल में क्या करना है।

इसमें शामिल होगा:

- आपातकालीन सम्पर्क सूची को अपडेट करना
- बिना किसी दोषारोपण के बीमार बच्चों तथा कर्मियों को स्वस्थ बच्चों तथा कर्मियों से अलग करना।
- माता–पिता या देखरेखकर्ता को सूचित करने तथा जहां भी सम्भव हो स्वास्थ्य पदाधिकारियों से सलाह लेने,बच्चों या स्टाफ को सीधे स्वास्थ्य सुविधा में हालात या परिस्थित के आधार पर भेजने की ज़रूरत है या नहीं, या घर भेजने का कार्य सी डब्ल्यू सी, जे जे बी या बाल न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।
- ऐसी प्रक्रिया के बारे में कर्मियों, माता–पिता तथा बच्चों को समय से पहले ही बताया जाएगा।[8]

[8] NCPCR Advisory

स्थानीय निकायों जैसे–पंचायत या नगर–पालिका की भूमिका

वैश्विक महामारी कोविड–19 को सम्बोधित करने में स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आईए इस बात को विस्तार से समझें कि वैश्विक महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए वे क्या भूमिका निभा सकते हैं।

- ऐसे बच्चों के मामले में जिनके परिवार मजदूरी हेतु कुछ अन्तराल पर पलायन करते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आश्रय एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधाएं (अगर ज़रूरत पड़े) की पर्याप्त व्यवस्था एवं स्थानीय उपलब्धता, स्थानीय प्रशासन जैसे– पंचायत या नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे परिवारों की सूची ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की जानी चाहिए।
- पूरी प्रक्रिया तथा बच्चे की स्थिति का अनुश्रवण और उसका रखरखाव ज़िला कलक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।[9]

[9] https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904